FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

प्रेस नोट थाना खैरगढ़ दिनांक 03-07-2025 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना खैरगढ़ पुलिस व एसओजी / सर्विलांस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए शातिर लुटेरे अभियुक्त 1. अवधेश उर्फ धांसू को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार।

- **पुलिस मुठभेड़ के दौरान शातिर लुटेरा 1. अवधेश उर्फ धांसू पैर में गोली लगने से हुआ घायल......**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस , लूटे गये 12,500 रुपये व 01 लूट की घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।**
- **घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया.....**

दिनांक 03-07-2025 को वादी द्वारा थाना खैरगढ़ पर तहरीर दी गयी कि वादी ग्राम श्यावरी में किस्तो का कलेक्शन करने गया था तथा कलेक्शन करने के बाद ग्राम श्यावरी के बाहर मोटरसाइकिल सवार 03 लडकों ने तमंचे के बल पर वादी का फोन व बैग छीनकर मौके से भाग गये। जिसमें वादी द्वारा मोटरसाइकिल चालक की पहचान अवधेश उर्फ धांशू पुत्र बबलू निवासी ग्राम श्यावरी के रुप मे की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना खैरगढ़ पर मु0अ0सं0 97/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना पर नामजद अभियुक्त अवधेश उर्फ धांसू को हाथवन्त प्रतापपुर रोड़ नगला सदिया से हिरासत में लिया गया। लूट के माल बरादगी हेतु अभियुक्त अवधेश उर्फ धांसू को गोंच का बाग रोड पर साखनी मोड के पास ले जाया गया। जहाँ पर अभियुक्त द्वारा पूर्व से रखे अवैध लोडिड तंमचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त अवधेश के पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त को घायल अवस्था में पुलिस हिरासत में लिया गया। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा घायल अभियुक्त-

1. अवधेश उर्फ धांसू पुत्र बब्बू उर्फ बबलू निवासी ग्राम श्यावरी थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. लूट के 12,500 रुपये।
5. लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अवधेश उर्फ धांसू-

1.मु0अ0सं0 51/19 धारा 302/394/411/34 भादवि. थाना खैरगढ

2.मु0अ0सं0 175/22 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411/414/420 भादवि. थाना खैरगढ

3. मु0अ0सं0 -97/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना खैरगढ फिरोजाबाद

4.मु0अ0सं0-98/25 धारा धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खैरगढ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
2. प्रभारी एसओजी / सर्विलांस श्री अमित तोमर मय टीम।
3. उ0नि0 श्री सोमिल राठी थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 श्री अंकुर चौहान थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
5. का0 1480 अजय कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
6. का0 519 नाहर सिंह थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 875 आकाश कुमार थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
8. का0 743 सत्यवीर सिंह थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।
9. चालक का0 378 श्री गोपाल थाना खैरगढ़ जनपद फिरोजाबाद।